न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 03/2015

बउनवान

मोत्या बाई पुत्री श्री नारायण पत्नी प्रभूलाल आयु 75 वर्ष जाति–मेघवाल
निवासी ग्राम उत्थी हाल निवासी सुल्तानपुर तहसील–दीगोदा
जिला–कोटा (राज0)

(अपीलांटा)

बनाम

1– मॉगीलाल पुत्र जगन्नाथ आयु 50 वर्ष जाति–मेघवाल निवासी ग्राम उत्थी
2– सचिव, ग्राम पंचायत मियाडा तहसील–बारां जिला–बारां
3– सरपंच ग्राम पंचायत मियाडा तहसील–बारां जिला–बारां
5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला–बारां

(रेस्पोंडेंटस्)

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 25.01.1983 नामान्तकरण संख्या 196 ग्राम मियाडा तहसील–बारां अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री वीरेन्द्र गौतम, अभिभाषक (अपीलांटा)

निर्णय दिनांक– 27.03.2019

1– अपीलांटा ने अपील प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि ग्राम उत्थी तहसील–बारां के खाबिक खाता संख्या 18 साबिक खसरा नम्बर 188 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा जो अपीलांटा के पिता श्री नारायण के नाम सम्वत् 2032 से 2035 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार साबिक खाता संख्या 19 साबिक खसरा नम्बर 67, 68, 69, 171, 182, 183 कुल 6 किता कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा अपीलांट के पिता के शामलाती खाते में नारायण, मन्ना, कान्हा पिसरान नेनगा के नाम संयुक्त खाते जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास सन् 1980 में हो गया तब उक्त आराजियात् नारायण के वारिसान् के खाते दर्ज होने थी। लेकिन रेस्पो0 कम–1 ने झूठी बयानी कर रेस्पों0 कम, 2, 3 से मिलीभगत कर नामान्तकरण संख्या 196 दिनांक 25.1.1993 में तस्दीक करवा लिया है, जो विधि विरूद्व है। सन् 1980 के बाद सेटलमेंट आया। दौराने सेटलमेंट उक्त आराजियात् के नये नम्बर कायम हुये। साबिक खाता संख्या 18 के खाता संख्या 80 खसरा नम्बर 188 के 218 रकबा 1.51 है0 दर्ज हुये। इसी प्रकार खाता संख्या 19 के खाता संख्या 79 व साबिक खसरा नम्बर 67 के 114 रकबा 0.19 255 रकबा 0.13 है0, 69 के 116 रकबा 0.15 है0, 171 के 198 रबा 0.61 255 रकबा 0.80 है0, 182 के 256 रकबा 0.58 है0 कायम हुये। पिता श्री के स्वर्गवास के बाद से दोनो खातो में अपीलांटा के पिता का नाम बदस्तूर दर्ज रहा है। अपीलांटा के पिता की मृत्यु के पश्चात् पिता के हिस्से की में अपीलांटा की माता नारायणीबाई, अपीलांट एवं बहिन भूलीबाई के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तकरण दर्ज होना चाहिये था। लेकिन रेस्पों0 क्रम 2 ता 4 ने उक्त नामान्तकरण दर्ज नहीं किया। जबकि अपीलांटा की माता नारायणीबाई एवं अपीलांट की बहिन भूलीबाई ने अपने हिस्से की समस्त आराजियात् दिनांक 27.07.1982 को जर्ये रजिस्टर्ड दानपत्र से अपीलांटा को दे दी गयी। तब से अपीलांटा अपने पिता एवं माता एवं बहिन से प्राप्त समस्त कृषि आराजियात् पर काबिज काश्त है।

2— इस प्रकार रेस्पों क्रम–1 ने रेस्पों0 क्रम 2 ता 4 से मिलीभगत कर सेटलमेंट अधिकारी के समझ झूठी बयानी कर, नामान्तकरण सख्या 196 दर्ज करवाया है जो काबिले खारिज योग्य है तथा कानूनी सिद्धान्तो के अनुसार उनको कभी भी निरस्त करवाया जा सकता है। दिनांक 27.07.1982 को माता व बहिन ने अपीलांटा के हक में रजिस्टर्ड दानपत्र आलेखित करवाया था, उक्त दानपत्र से स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मॉगीलाल पुत्र जगन्नाथ जो रेस्पों0 क्रम–1 है, ने स्वर्गीय नारायणजी का दत्तक पुत्र बताकर उक्त आराजी में अपना नाम दर्ज करा लिया है। जबकि नारायणजी ने अपने जीवनकाल में रेस्पों को कभी दत्तक नहीं माना है ना हीं अपने पास रखा। रेस्पों0 क्रम–1 ने उक्त दानपत्र दिनांक 27.7.1982 के पश्चात् रेस्पों क्रम 2 ता 4 से मिलीभगत कर, ग्राम पंचायत मियाडा से फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त कर, नामान्तकरण संख्या 196 दर्ज करवाया है। नामान्तकरण खारिज योग्य है।

3— अपीलांटा को इस नामान्तकरण की जानकारी अपनी आराजियात् पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु कम्प्यूटर से जमाबन्दी दिनांक 23.11.2014 को निकलवाने और बैंक में सम्पर्क किया तब चला कि अपीलांटा के हिस्से की आराजियात् बहुत कम है। अपीलांट की आराजियात् में रेस्पों0 क्रम–1 ने अपना नाम लिखवा रखी है। तब अपीलांटा को जिला रेकार्ड रूम, बारां से पुराने कागजात लेने पर पता चला कि उक्त आराजियात् का नामान्तकरण नम्बर 196 दिनांक 25.1.1983 से दोनो खाते में रेस्पों0 क्रम–1 का नाम दर्ज हो गया है। अपीलांटा ने जानकारी से, समस्त रेकार्ड की नकले निकलवाकर, अपील उचित सकारण पेश की गयी है जो उचित न्याय शुल्क तथा जानकारी से अवधि मध्य पेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण सख्या 196 दिनांक 25.1.1983 ग्राम उल्थी निरस्त फरमाया जावे।

4— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांटा के उपस्थित आने एवं रेस्पों0 क्रम–1 अभिभाषक द्वारा प्रकरण में कोई पैरवी नहीं चाहने पर, विद्वान अभिभाषक अपीलांटा की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांटा के पिता के वर्णित खाते के ग्राम उल्थी युक्त खातेदारी में आराजियात् अवस्थित है जिसपर पिता का निरन्तर काबिज रहे है। पिता की मृत्यु सन् 1980 में होने पर, उक्त आराजी का माता भूलीबाई, अपीलांटा एवं बहिन भूलीबाई के नाम इन्तकाल दर्ज होना था। अपीलांटा की माता एवं बहिन ने पिता की मृत्यु के बाद अपीलांटा के पक्ष में उनके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हक हिस्से की आराजियात् का दिनांक 27.07.1982 को जर्ये रजिस्टर्ड दानपत्र अपीलांटा के पक्ष में निष्पादित किया है। तभी से अपीलांटा पिता की वर्णित समस्त आराजियात् पर काबिज काश्त चल आ रहा है। किन्तु रेस्पोडेंट क्रम–1 मॉगीलाल ने ग्राम पंचायत मियाडा से फर्जी एवं कूटरचित तरीके से दत्तक पुत्र का प्रमाणपत्र बनवाकर, रेस्पों क्रम–2 ता 3 से मिलीभगत कर, वर्णित दोनो खातो में पिता की मृत्यु के बाद उक्त आराजी का अपने पक्ष में इन्तकाल दर्ज करवा लिया है। जबकि पिता नारायणजी ने अपने जीवनकाल में रेस्पों क्रम–1 को कभी दत्तक नहीं रखा है ना हीं रेस्पों कभी पिता के पास रहा है ना हीं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कोई रस्म अदा की गयी। फर्जी तरीके से अपना नाम दर्ज कराया गया है। जबकि अपीलांटा नारायणजी के वैधानिक पुत्री है तथा माता एवं बहिन ने उसके पक्ष में दिनांक 27.7.1982 को रजिस्टर्ड दानपत्र तहरीर किया है जिसका अमल नहीं हुआ है। अपीलांटा अपने पिता की समस्त आराजी को प्राप्त करने की पूर्ण अधिकारी है। अपीलांटा को उक्त आराजियात् पर बदस्तूर काबिज काश्त होने से रेस्पों0 क्रम–1 द्वारा नामान्तकरण दर्ज कराने की जानकारी नहीं हुयी। इसकी जानकारी अपीलांट द्वारा क्रकिड कार्ड बनाने हेतु नकल जमाबन्दी निकलवाने एवं बैंक से सम्पर्क करने पर होने पर, अपील जानकारी ने अवधि मध्य पेश की गयी है। मियाद के लिये धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 196 दिनांक 13.02.1983 वाके ग्राम उल्थी निरस्त फरमाया जाकर, न. पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को वैधानिक वारिस अपीलांटा के नाम इन्तकाल दर्ज करने हेतु रिमाण्ड फरमायी जावे।

6– हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटा की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांटा के मुख्य तर्क रहा है कि रेस्पों0 क्रम–1 मृतक नारायणजी का दत्तक पुत्र नहीं है, उसका नाम वर्णित आराजीयात् में गलत दर्ज किया गया है तथा अपीलांटा की माता एवं बहिन ने उसके पक्ष में दिनांक 27.07.1982 को रजिस्टर्ड दानपत्र आलेखित किया है जिसका अमल नहीं हुआ है। इसलिये रेस्पों0 क्रम–1 के पक्ष में तस्दीकी इन्तकाल को निरस्त फरमाया जाकर, उसके नाम विरासतन इन्तकाल दर्ज किया जावे। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांटा द्वारा दिनांक 25.01.1983 को तस्दीकी इन्तकाल के विरूद्व दिनांक 24.12.2014 को अपील प्रस्तुत की गयी है। जो लगभग 31 वर्ष बाद काफी विलम्ब से पेश की गयी है। अपीलांटा ने अपील एवं धारा, 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में जो कारण अंकित किये गये है, क्षम्य योग्य प्रतीत नहीं होते है। अपीलांट ने ऐसा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है, जिनके आधार पर मियाद को कण्डोन किया जावे। तस्दीकी इन्तकाल दिनांक का है जो मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील पर विचार किये बिना, अपील मियाद बाद प्रस्तुत किये जाने से खारिज

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर सुनाया गया।

राव)
र,बारां

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official